

FORM-I
(for linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Ratlam

No. /R-I / 2803.

Ratlam, Dated 18/5 /2015


To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 36.11 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Dy Chief Engineer (const.), Ratlam North Western Railway for construction of New Rail line between Dungarpur- Ratlam via Banswara project in Ratlam district falls within jurisdiction of Bayatonk, Doongrapunja, Patdi-36, Patdi-13, Bheldi, Ghorapalla, Sakad & Kalakhet villages in Sailana tehsil and Palsodi village in Ratlam tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 36.11 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 21
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.




(B. Chandrashekhar)
Collector,
District Ratlam (M.P.)

No. /R-I / 2804...

Ratlam, Dated 18/5 /2015

For Information in necessary to:-

- Forest Officer, Forest Division, Ratlam.
- SDM Ratlam & Sailana.
- Dy Chief Engineer (const), North Western Railway, Ratlam.



Collector,
District Ratlam (M.P.)

जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति जिला रत्लाम

कार्यवाही विवरण

उपखण्डस्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड सैलाना द्वारा उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे, रत्लाम के पत्र क्र. उपरे/सवनि/रत्लाम/504258060/1 दिनांक-05.02.2015 के अनुसार "झूंगरपुर-रत्लाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) का हेतु वन भूमि अधिग्रहण संबंधी स्टेज-1 प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिए अपनी अनुशंसा उपरान्त जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रत्लाम की अनुशंसा हेतु दिनांक 18/5/2015 को निम्नानुसार प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

"झूंगरपुर-रत्लाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रत्लाम जिले के राजस्व ग्राम घोड़ापल्ला की 1.85 है0, बयांटोक की 4.74 है0, झूंगरापूंजा की 3.73 है, साकर की 0.30 है0, पाटड़ी हल्का-36 की 8.15 है0, पाटड़ी हल्का-13 की 0.45 है0 भेड़ली की 8.78 है0 एवं कालाखेत की 3.06 है0 वन भूमियों का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है। इस प्रकार से रत्लाम जिले के 8 ग्रामों की कुल प्रभावित वन भूमि 31.06 हैक्टर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष आठ ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र कि "झूंगरपुर-रत्लाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) में आने पर सैलाना तहसील के आठ ग्रामों की पंचायतों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं अनुशंसा तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड सैलाना की अनुशंसा के आधार पर "झूंगरपुर-रत्लाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु 31.06 हैक्टर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने की जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, रत्लाम द्वारा अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती मधु मुस्ता)

सचिव

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, रत्लाम

(आर.पी.राय)

सदस्य

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, रत्लाम

(बी. चंद्रशेखर)

अध्यक्ष

कलेक्टर
जिला रत्लाम

जा.क्र - 2806
18/5/15